भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2211
29 जुलाई, 2016 को उत्तर के लिए

सैनिक स्कूल

2211. श्री जे.सी.दिवाकर रेड्डी:
डॉ. उदित राज:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों और सैनिक स्कूलों के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं:

(ख) क्या 1961 में, सरकार ने देश के सभी राज्यों में सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया था और यदि हां, तो निर्णय के कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं ;

(ग) वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों से सैनिक स्कूलों की स्थापना हेतु प्रस्तावों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने इन स्कूलों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पाई गई कमियां और इन कमियों को दूर करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा ऐसे स्कूलों को आम आदमी की पहुंच में लाकर रक्षा सेवाओं के अधिकारी संवर्ग में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रक्षा मंत्री (श्री मनोहर पर्रीकर)

(क): राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों (आरएमएस) का लक्ष्य और उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और रक्षा सेनाओं में सम्मिलित होने के लिए कैडेटों को तैयार करना है । सैनिक स्कूलों की स्थापना करने की योजना, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेने हेतु लड़कों को शैक्षिक, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ 1961 में प्रारंभ की गई थी । इस योजना के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:-

(i) रक्षा सेनाओं के अफसर संवर्ग में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना ।

(ii) कल के अच्छे और उपयोगी नागरिक होने के लिए आज के युवाओं को समर्थ बनाने हेतु शरीर, मस्तिष्क और आचरण के गुणों को विकसित करना ।

(iii) पब्लिक स्कूल की शिक्षा को सामान्य व्यक्ति की पहुंच के भीतर लाना ।

(ख): वर्ष 1961 में, भारत के विभिन्न भागों में सैनिक स्कूलों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था । राज्य सरकार से विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर सैनिक स्कूल स्थापित किए जाते हैं, जिसे भूमि, शैक्षिक और आवासीय भवनों, खेलकूद फील्डों और अन्य उपस्करों के रूप में राज्य सरकारों से आधारभूत संरचना प्रदान करने की भी आवश्यकता होती है । वर्तमान में, देश में 25 सैनिक स्कूल है जिनमें 21 राज्य कवर किए गए हैं । (**अनुबंध-I**)

(ग): सैनिक स्कूलों की स्थापना करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की सूची **अनुबंध-II** के रूप में संलग्न है ।

(घ): इन स्कूलों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों के मामले में महानिदेशक, सैन्य प्रशिक्षण द्वारा और सैनिक स्कूलों के मामले में सैनिक स्कूल सोसाइटी के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करके की जाती है । इसके अतिरिक्त, कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए, अध्यापकों हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रधानाचार्यों और अन्य प्रशासनिक स्टाफ के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन, एनडीए प्रवेश परीक्षा के लिए विशेष कोचिंग आदि की व्यवस्था है ।

(ड.): जैसा कि भाग (क) के उत्तर में दर्शाया गया है, सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, रक्षा सेनाओं में अफसर संवर्ग में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने हेतु सैनिक स्कूलों की स्थापना की है । ये सैनिक स्कूल वहनीय कीमत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं ताकि उम्मीदवार अफसर के रूप में रक्षा सेनाओं में शामिल होने हेतु प्रशिक्षित किए जाने का अवसर प्राप्त कर सकें । इसके अतिरिक्त, 13 और सैनिक स्कूलों की स्थापना करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं अथवा "सैद्धांतिक रूप से" अनुमोदन प्रदान किया गया है । **(अनुबंध-III)**

लोक सभा में 29 जुलाई, 2016 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 2211 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

देश में सैनिक स्कूलों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	स्कूल का नाम	राज्य
1	सैनिक स्कूल अमरावती नगर	तमिलनाडु
2	सैनिक स्कूल अंबिकापुर	छत्तीसगढ़
3	सैनिक स्कूल बालाचड़ी	गुजरात
4	सैनिक स्कूल भुवनेश्वर	ओडिशा
5	सैनिक स्कूल बीजापुर	कर्नाटक
6	सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़	राजस्थान
7	सैनिक स्कूल घोड़खाल	उत्तराखंड
8	सैनिक स्कूल गोलपारा	असम
9	सैनिक स्कूल गोपालगंज	बिहार
10	सैनिक स्कूल इम्फाल	मणिपुर
11	सैनिक स्कूल कालीकिरी	आन्ध्र प्रदेश
12	सैनिक स्कूल कपूरथला	पंजाब
13	सैनिक स्कूल काझाकोट्टम	केरल
14	सैनिक स्कूल कोडागु	कर्नाटक
15	सैनिक स्कूल कोरूकोंडा	आन्ध्र प्रदेश
16	सैनिक स्कूल कुंजपुरा	हरियाणा
17	सैनिक स्कूल नगरोटा	जम्मू एवं कश्मीर
18	सैनिक स्कूल नालंदा	बिहार
19	सैनिक स्कूल पुंगलवा	नागालैंड
20	सैनिक स्कूल पुरूलिया	पश्चिम बंगाल
21	सैनिक स्कूल रीवा	मध्य प्रदेश
22	सैनिक स्कूल रेवाड़ी	हरियाणा
23	सैनिक स्कूल सतारा	महाराष्ट्र
24	सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा	हिमाचल प्रदेश
25	सैनिक स्कूल तिलैया	झारखंड

लोक सभा में 29 जुलाई, 2016 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 2211 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

नए सैनिक स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की सूची

क्र.सं.	राज्य
1.	सिक्किम
2.	पंजाब
3.	झारखंड
4.	मध्य प्रदेश
5.	दिल्ली
6.	त्रिपुरा
7.	अंडमान और निकोबार प्रशासन

लोक सभा में 29 जुलाई, 2016 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 2211 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-III

उन नए सैनिक स्कूलों के ब्यौरे जिनके लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया/ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

क्र.सं.	राज्य	जिलें	अभ्युक्तियां
1.	मिजोरम	छिंगछिप	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2.	राजस्थान	अलवर	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
3.	राजस्थान	झुंझूनु	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
4.	उत्तर प्रदेश	झांसी	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
5.	उत्तर प्रदेश	मैनपुरी	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
6.	उत्तर प्रदेश	अमेठी	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
7.	उत्तराखंड	रूद्रप्रयाग	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
8.	महाराष्ट्र	चन्द्रपुर	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
9.	अरूणाचल प्रदेश	गांव निगलोक जिला पूर्वी सियांग	"सैद्धांतिक अनुमोदन" प्रदान किया गया
10.	ओडिशा	संबलपुर	"सैद्धांतिक अनुमोदन" प्रदान किया गया
11.	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	"सैद्धांतिक अनुमोदन" प्रदान किया गया
12.	तेलंगाना	वारांगल	"सैद्धांतिक अनुमोदन" प्रदान किया गया
13.	असम	गोलाघाट	"सैद्धांतिक अनुमोदन" प्रदान किया गया

*****